P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11*(Part-2) February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में धर्म व साम्प्रदायिकता का बदलता स्वरूप

मोनिका गौतम
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
महाराजा बिजली पासी
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श का अनुसरण करते हुए भारतवर्ष के सभी निवासी चाहें वे किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के रहें हों, आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, परन्तु विदेशी मुस्लिम आक्रान्ताओं के भारत में प्रवेश तथा शासन के दौरान साम्प्रदायिकता का जो सूक्ष्म रूप पल्लवित हो रहा था वह औरंगजेब के शासन काल से होते हुए अंग्रेजो की फूट डालो राज करो की नीति में स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित हो गया था, जिसका परिणाम हम भारत के विभाजन के रूप में देख चुके हैं।

केवल अपने सम्प्रदाय को श्रेष्ठ समझ उसके हितों का विशेष ध्यान रखना और दूसरे सम्प्रदाय को हीन समझ उससे द्वेष रखना ही साम्प्रदायिकता कहलाता है। भारत में साम्प्रदायिकता का इतिहास बहुत पुराना है। इसके पीछे मुख्य वजह देश में कई सम्प्रदाय के लोगों का रहना है। प्राचीन काल में भारत में बौद्धों का हिन्दुओं, वैष्णव तथा शैवों का शाक्तों के मध्य वाद–विवाद तथा हिंसा होती रहती थी। विभिन्न सम्प्रदायों के लोग अपने व आचार को श्रेष्ठ समझ दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को हेय दृष्टि से देखते रहे है। वास्तव में लोग सम्प्रदायवादी इसलिए हो जाते हैं। क्योंकि वे अपने निजी धर्म में निहित नैतिक शिक्षा और सार्वभौमिक मानववादी विचारों के प्रति अज्ञानी होते है जिसके फलस्वरूप वे मुख्यतः न केवल अधार्मिक बन जाते है। जनता के समक्ष दिखावा करने के शिवाय साम्प्रदायवादी किसी धर्म का न तो आदर ही करता है न ही इसमें अपनी सच्ची आस्था रख सकता है। साम्प्रदायवादी मूलतः पद सत्ता, सम्पत्ति तथा सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिक, चुनावी गुट सम्बन्धी, व्यक्तिगत लाभ सम्बन्धी दाव पेंच के रूप में धर्म का 'दुरूपयोग तथा 'शोषण' करता है। इस प्रकार साम्प्रदायिकता धर्म का शोषण है, कभी प्रत्यक्ष में तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में।

मुख्य शब्द : संकीर्णतावाद, साम्प्रदाायिकता, स्वप्रभुत्व, स्वतुष्टि पोषी, एननिसीटी, विध्वंसकारी, तत्वान्वेषी।

प्रस्तावना

मनुष्य की अनेक शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएँ होती है, जिनकी पूर्ति के लिए उसने संस्कृति को जन्म दिया। धर्म भी उसी संस्कृति का एक अंग है। धर्म एक सामाजिक आवश्यकता है। धर्म की उत्पत्ति समाज द्वारा की जाती है तथा सामाजिक जीवन के अस्तित्व को बनाये रखना, उसकी रक्षा करना, धर्म का प्रमुख कार्य है। मैक्सवेबर ने धर्म के नैतिक पक्ष को प्रभावशाली बताते हुए यह स्पष्ट किया कि धर्म केवल संवेग नहीं है बल्कि यूक्तिमूलक है। धर्म समाज में नैतिकता एवं विश्वास की स्थापना कर समाज को स्थायित्व प्रदान करता है तथा उसे विघटन से बचाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. साम्प्रदायिकता 'धर्म' तथा 'समाज' के लिए कितनी जटिल समस्या है इसके बारे में जानना।
2. हिन्दू – मुस्लिम धर्मों के मध्य एक–दूसरे का विरोध तथा प्रतिकार करने की प्रवृत्ति के बारे में जानना।
3. साम्प्रदायिक ढ़ाचों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करना।
4. साम्प्रदायिकता के उद्भव की प्रक्रिया का कारण मालूम करना।
5. एक प्रखर राष्ट्रीय एकता जागृत करना।

विषय विस्तार

भारत एक बहुलवादी समाज है। यहाँ विभिन्न धार्मिक समूहों को रहने तथा अपने – अपने धर्मों का पालन करने व उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यहाँ विभन्न धर्मों हिन्दू, इस्लाम, सिक्ख, बौद्ध एवं इसाईयों में अपने–अपने धार्मिक सम्प्रदाय है, जिनमें आपसी सौहार्द तथा सहअस्तित्व की भावना पायी जाती है लेकिन कभी–कभी उनमें कुछ बातों को लेकर तनाव

उत्पन्न हो जाता है। ''मेरा सम्प्रदाय, मेरा पंथ,, मेरा मत ही सबसे अच्छा है'', यह भावना संकीर्णतावाद को जन्म देती है और धार्मिक तनाव व संघर्ष को प्रोत्साहित करती है। ''मेरा सम्प्रदाय सर्वश्रेष्ठ है और अन्य सम्प्रदायहीन है'', ऐसी भावना सम्प्रदाय घृणा एवं द्वेष को जन्म देती है। अपने धार्मिक सम्प्रदाय से भिन्न अन्य सम्प्रदाय अथवा सम्प्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना साम्प्रदायिकता है। इस प्रकार की भावनाओं को यथासम्भव दबाये रखना चाहिए।

इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि धर्म ने अपना प्रथम कदम मानव कल्याण के जिस अमृतमय सागर की तरफ बढ़ाने का प्रयास विभिन्न धार्मिक पगडंडियों से शुरू किया वह भिन्न–भिन्न दिशाओं से निकलते हुए भी क्षेत्र विशेष, देश–विदेश, द्वीप विशेष के लिए ही नहीं वरन सम्पूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहा है। धर्मों के सूक्ष्म निरीक्षणों के उपरान्त कहीं से भी आपसी टकराव ध्वनित नहीं होती वरन् ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सनमति दे भगवान की एक जुटता ही परिलक्षित होती है किन्तु मानव स्वतुष्टिपोषी भावनाओं ने धार्मिक एकतात्मक लक्षित भावनाओं में, विभेद की दरार डालने में इसलिए सफल होता गया क्योंकि जैसा रविन्द्रनाथ ठाकुर का विचार (1907) कि ''असली चिन्ता की बात तो यह है कि मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उनका इस्तेमाल कौन करता है। शैतान भीतर तभी घुसता है जब उसके आने के लिए रास्ता हो। ''यहीं प्रवृत्ति समाज के लिए नितान्त घातक है कालान्तर में स्वप्रभुत्व की नापाक प्रवृतियाँ प्रभावी होती चली गयी और धार्मिक कट्टरताओं को मजबूत करती गयी जो बाद में साम्प्रदायिक बनकर पूरे समाज के लिए अभिशाप बन गयी है। समय चाहे जो रहा हो धर्म की चादर ओढ़कर आर्थिक तथा राजनैतिक प्रभुताओं को हासिल करने के लिए हमेशा से सामाजिक दिलों को बाँटने का छदम् प्रयास चलता आ रहा है जो मानवीय पीड़ा की प्रबलतम् समस्या रही है वास्तविकता यह है कि प्रत्येक मानव एक दूसरे से अपने नैसर्गिक रूप में प्यार करते है, क्योंकि बगैर समाज के व्यक्ति विशेष के जीने का स्वभाव नहीं होता है किन्तु कुछ स्वार्थी और कपटी मनों की अभिप्रेरणाओं ने प्यार की इस मूल भावना का मानव के दिल से धर्म भेद सम्प्रदाय भेद–कराकर क्षीणतर कर दिया है, जैसे–जैसे भौतिकताएँ राजनैतिक आकांक्षाएँ समाज में बलवती होती गयी है वैसे–वैसे धर्म की पड़ी हुई गहरी छाप में आबद्ध मानव समाज ऐसे लोभियों की दुर्भावनाओं और कुचक्रों से प्रभावित होता गया है और आपसी भाई चारे के स्थान पर शत्रुता बढ़ती गयी है चाहे वह काल मुगलकालीन हो चाहे सल्तनत कालीन हो चाहे ब्रिटिश का रहा हो इतिहास के पन्ने इस बात को पूर्णरूप से जाहिर करते है कि सत्ता हथियाने तथा राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक प्रभुताओं को अर्जित करने में धर्म का सहारा लिया जाता रहा है और जनता को मानव प्रेम से अलग–थलग किया जाता रहा है क्योंकि बन्धुत्व की भावना परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति इमानदारी और सत्यनिष्ठा मानव मानव को जोड़े रहने के लिए सबसे बजबूत कड़िया है किन्तु इन मजबूत कड़ियों को तोड़ने के लिए धार्मिक कट्टरता ही एक ऐसा रसायन है जिसे स्पर्श करने मात्र से ही यह छिन्न–भिन्न हो जाती है जो स्वार्थों की पूर्ति के लिए आवश्यक हथियार है, इन्ही विध्वंसकारी शक्तियों के चलते पूरा समाज जिसकी भावना मिलजुल कर रहने खेलने, कूदने, नाचने, गाने की होती है धर्म विभेद का महामन्त्र फूककर, पल भरते ही विनष्ट कर देती है और समाज की सारी खुशियाँ धू–धू कर जलने लगती है। शायद यही कारण है कि ''मार्क्स ने धर्म को जनता के लिए अफीम कहा था'' क्योंकि यह व्यक्ति की चेतना ही मार देता है।

विभिन्न सम्प्रदायों के बीच तनाव भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक रहा है। अधिकांश साम्प्रदाायिक तनावों के पीछे छोटे–मोटे कारण से जैसे मूर्ति तोड़ देना, गोहत्या कर देना, धार्मिक, जुलूसों एवं उत्सवों में पथराव करना आदि। इस प्रकार की घटनाएं मानसिक संकीर्णता की घोतक है। भारत में साम्प्रदायिकता अंग्रेजो की देन है। उन्होंने अपने शासन को बनाये रखने के लिए 'फूट डालो और राज' करो की नीति अपनायी थी। साम्प्रदायिकता की कलुषित भावना के कारण देश के विभिन्न भागों में दंगे हुए। जबलपुर, राँची, इन्दौर, अहमदाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बिहार तथा अलीगढ़ आदि अनेक शहरों में सम्प्रादियकता की आग भड़की।

साम्प्रदायिक हिंसा परिणाम तथा गुणवत्ता दोनों में राजनैतिक साम्प्रदायिकता के साथ–साथ वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद 1993 के प्रारम्भ में बम्बई में बम विस्फोट तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश व केरल में साम्प्रदायिक दंगो में काफी वृद्धि हुई है। जहाँ कुछ राजनैतिक पार्टियां नृजातीय धार्मिक साम्प्रदायकि को सहन करती है। कुछ इन्हें प्रोत्साहन भी देती है, इस प्रकार की सहिष्णुता के हाल ही के उदाहरण, कुछ राजनैतिक नेताओं और कुछ राजनैतिक पार्टियों द्वारा धार्मिक संगठनों की क्रिया–कलपों द्वारा प्रकट होते हैं जो कि ईसाई मिशनरियों पर हमलों तथा गुजरात, मध्य प्रदेश तथा इलाहाबाद में ईसाई मिशनरियों पर हमलों से स्पष्ट है। मध्य 1970 के दशक के आपातकाल से राजनीतिक मुख्य धारा में अपराधी तत्वों का प्रवेश प्रारम्भ हुआ। यह घटना भारतीय राजनीति में सीमा तक घुल मिल गई है कि धर्मान्धता जातिवाद तथा धर्म और राजनीति का मेल विविध आयामों में बढ़ गया है।

दुर्खीम ने कहा है– ''यदि धर्म ने उन समस्त वस्तुओं को उत्पन्न किया है जो कि समाज के लिए आवश्यक हो तो वह इसलिए कि समाज का विचार' ही धर्म की आत्मा है।'' धर्म का सम्बन्ध भावना तथा विश्वास से होने के कारण किसी भी धर्म को दूसरो की अपेक्षा 'श्रेष्ठ' अथवा 'हीन' नहीं कहा जा सकता । इसके बाद भी प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ और भौतिक मान लेते की भूल कर बैठता है।

हिन्दू–मुस्लिम सिक्ख ईसाई,
आपस में सब भाई–भाई।

का नारा हमारी राष्ट्रीय अखण्डता का मूल मन्त्र है। उर्दू के प्रसिद्ध शायर 'इकबाल' ने अपने उद्‌गार प्रकट करते हूए कहा था–

मजहब नही सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी है हम वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा।

ये सब विचार धर्म की महान शक्ति के प्रतीक हैं इस प्रकार धर्म जीवन की विपत्तियों में व्यक्ति को सफलतापूर्वक अनुकूलन करने के लिए असीम बल, साहस व धैर्य प्रदान करता है।

भारत वर्ष में साम्प्रदायिकता के प्रमुख कारण है। (1) जाति व्यवस्था साम्प्रदायिकता का प्रमुख कारण है। (2) भारत वर्ष में 'धर्म' भी साम्प्रदायिकता का प्रमुख कारण है धर्म के आधार पर भारत की जनता आदिकाल से लेकर आज तक विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त रही है। जैसा कि इन पंक्तियों में स्पष्ट है–

यह क्या हुआ कि फासले इतने बढ़ा लिये
इन दो घरों के बीच में दीवार ही तो है।

साम्प्रदायिक दंगो का प्रभाव क्षेत्रः भारत में साम्प्रदायिक उन्माद 1946–48 के दौरान अपनी पराकष्ठा पर पहुँच गया था। 1950–1963 के काल में साम्प्रदायिक शक्ति का काल था। देश में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास ने साम्प्रदायिक स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दिया। दंगों के प्रभाव क्षेत्र स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दिया। दंगों के प्रभाव क्षेत्र 1963 के बाद एकाएक बढ़ गये। पूर्वी भारत के विभिन्न भागों जैसे कलकत्ता, जमशेदपुर, राऊर केला और रांची में 1964 में भयंकर दंगे हुए। साम्प्रदायिक हिंसा की लहर 1968 और 1971 के बीच जब केन्द्र और राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व कमजोर था सारे देश में फैल गई।

डॉ0 अम्बेडकर ने इस्लाम का गहरा अध्ययन किया था। अपने अध्ययन के आधार पर वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस के निर्देश दुर्लध्य दीवार बन कर खड़े है जो दोनों के बीच कभी मित्रता और भाई चारा उत्पन्न करने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा क्योंकि मुसलमान कोई आदर्श स्वीकार नहीं करेगे। जो कुरान और हदीस के निर्देशो के अनुकूल नहीं हो। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुओं और मुसलमानों की एथनिसिटी (प्रजातीयमूल), भाषा, वेशभूषा और अनेक रीतिरिवाजों में समानता है किन्तु धर्म और इतिहास दोनों को इतनी गहराई में जाकर बांटता है कि उनके बीच सौहार्द की कल्पना करना स्वप्न की तरह एक छलावा है। भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता की समस्या एक जटिल समस्या है क्योंकि इसका सम्बन्ध इस्लाम के बुनियादी सिद्धान्तों से हैं जिसे बदलना काफी कठिन है। जब तक उनके धार्मिक विश्वासों में बदलाव नहीं आता है तो भारत के तेरह करोड़ मुसलमानों की आबादी भारत की शन्ति स्थिरता के लिए गंभीर रक्तरा बन सकती है।

अब भी यदि मुस्लिम साम्प्रदायिकता की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भारत को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक है कि– (1) सर्वप्रथम उदारवादी मुसलमानों की उपेक्षा बंद कर उन्हें संगठित किया जाये तथा उन्हें कट्‌टरवाद के घने अंधकार में डूबे मुस्लिम समाज में आधुनिकता का चिराग जलाने का दायित्व सौंपा जाए। (2) कुल उलेमा जो प्रबुद्ध और उदारवादी विचार के हैं जो कुरान और हदीस के परम्परागत अर्थों से सहमत नहीं है। वे भारतीय मुसलमानों के पुराने धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन ला सकते है। (3) इतना ही काफी नहीं है। भारतीय मुसलमानों को गांधी की बातों को याद दिलाना है कि मुसलमानों के केवल मुँह से कहना काफी नही है कि वे राष्ट्रभक्त है, उन्हें अपने व्यवहार से इसे साबित भी करना चाहिए।

धार्मिक विविधता, मत भिन्नता एवं अज्ञानता के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याए उत्पन्न होती है इन समस्याओं से सामाजिक विघटन, सामाजिक अशांति टकराव संघर्ष की स्थिति स्वस्थ समाज को तोड़ने में सहायक होती है ऐसी परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए साहिष्णुता को ही अपनाना आवश्यक है जिससे सर्वधर्म समभाव के वातावरण का सृजन हो सके। धार्मिक सहिष्णुता में दूसरे धर्मों के प्रति सद्‌भाव उदारता तथा सहनशीलता की भावना आवश्यक है। इसमें धार्मिक समझौता और सह अस्तित्व का दृष्टिकोण निहित रहता है। हिंसा प्रतिशोध ईर्ष्या द्वेष कट्‌टरपन एवं रूढ़िवादिता धार्मिक सहिष्णुता में उदारता में भी प्रेम बन्धुत्व तथा सहयोग के भाव से ही सहिष्णुता में सहायक है। समाज में धार्मिक साहिष्णुता की स्थापना के लिए उपयुक्त सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थिति का होना आवश्यक है। व्यावहारिकता के क्षेत्र में सभी धर्मावलम्बियों परस्पर उदारता सहनशीलता के भाव से सहिष्णुता का विकास सम्भव है जिस समाज में धर्मों के बीच ऊँच नीच में भेदभाव प्रचलित है वहाँ धार्मिक एकता तथा सद्‌भाव की स्थापना कठिन है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सर्वधर्म सम्भाव का सिद्धान्त आज के युग में अनुकरणीय है। धार्मिक विविधता के सन्दर्भ में उनका सुझाव विशेष महत्वपूर्ण है विभिन्न धर्मावलम्बियों को परस्पर उदाहरण और सद्‌भावना का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए इसमें आत्मीयता और एकता के भावों में वृद्धि होगी। धार्मिक क्रिया कलापों में सक्रिय सहभागिता एवं विचारों के आदान–प्रदान देने चाहिए तथा सभी प्रकार के धार्मिक दुष्प्रचारों पर भी रोक लगानी चाहिए।

निष्कर्ष

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि जो जिसका वास्तविक रूप है उसे बनाए रखने और उस पर बल देने में जो सहायक हो वही धर्म है। धारणाद धर्मः– जिसे आचारण से व्यष्टि और समष्टि अपने यथार्थ जीवन को धारण कर सकता है। उस आचरण – विशेष का नाम 'धर्म' है। मनुष्यत्व से पशुत्व की ओर ढकेलना प्रकृति का स्वभाव है। इसे रोकनेवाला तत्व धर्म है। इसी कारण मनु ने कहा है– 'धर्म हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म केवल आस्थाओं पर आधारित नही है। किसी धार्मिक आस्था में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति भी धार्मिक अर्थात् सत्‌गुणी हो सकता है। धर्म न देश से बंधा है। न काल से, न वह किसी सम्प्रदाय विशेष तक ही सीमित है। यह सर्वथा सत्य है कि आजकल के मानव–मानस से धर्म की भावना निकल चुकी है। इसीलिए आज का व्यक्ति, समाज देश तथा सम्पूर्ण विश्व स्वार्थ में दुर्मदान्ध

होकर कर्तव्य, अकर्तव्य के विवेक से विहीन बन गया है। भिन्न–भिन्न समाज जिस प्रकार सर्वदा ही आपस में कलह और संग्राम कर रहे है, उसी प्रकार से धर्म सम्प्रदाय भी सर्वदा परस्पर कलह और संग्राम कर रहे है। किसी एक विशेष समाज के लोगों का दावा है कि एक मात्र उन्हे ही जीवित रहने का अधिकार है और जब तक सम्भव हो, वे दुर्बल के ऊपर अत्याचार करते हुए, अपना अधिकार जमाये रहे है। कोई भी मताबलम्बी ऐसा नहीं दिखाई देता जो प्रहलाद की भाँति उस परमपिता परमेश्वर को प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष प्रकट करके उन्हीं के श्रीमुख से धर्म–अधर्म का निर्णय करा सके। यद्यपि मानव–जीवन में धर्म ही सर्वापेक्षा अधिक शान्तिदायी है तथापि धर्म ने ऐसी भयंकरता की सृष्टि भी की है, जैसा कि किसी दूसरे ने नहीं की है। धर्म ने ही मनुष्य के हृदय में भ्रातृभाव की प्रतिष्ठा की है, साथ ही धर्म ने मनुष्यों में कठोर शत्रुता और विद्वेष का भाव की उद्दीप्त किया है, लेकिन हम यह भी जानते है, कि सर्वदा एक चिन्तन का अन्तस्रोत वह रहा है। विभिन्न धर्म की तुलनामूलक आलोचना में व्यस्त कितने ही तत्वान्वेषी दार्शनिक और अभ्यासक इन सब विवदमान और विरूद्धमतावलम्बी धर्म सम्प्रदायों में शान्ति स्थापित करने की चेष्टा पहले कर चुके है और अब भी चेष्टा कर रहे है। किसी–किसी देश में ये चेष्टाएँ सफल हुई है, परन्तु सारी पृथ्वी की ओर देखने पर मालूम होता है कि समष्टि भाव से ये चेष्टाए विफल ही हुई है। कहने के लिए तो रेल, तार, वायुयान द्वारा आज एक राष्ट्र दूसरें के अधिक निकट आ गए है, परन्तु फिर भी धर्म के नाम पर अभी भी हम दूर ही है। महात्मा गांधी ने धर्म के प्रति सही दृष्टिकोण को ''सर्वधर्म समभाव'' कहा है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि कौन ऊँचा है कौन नीचा है, इसका निर्णय केवल उसके शील से हो सकता है। ''संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 ''सर्वधर्म सम्भाव'' का प्रतिपादन करते है। वैदिक युग से आधुनिक काल तक ''सर्वधर्म समभाव की धारण ही हमें अनुप्रमाणित करती है। अथर्वेद के पृथ्वीसुक्त में विश्व में प्रचलित विभिन्न धर्मों की चर्चा कर, उनके सहअस्तित्व की कामना की गई है। पृथ्वीसुक्त में कहा गया है–

जनविभ्रति बहुधा विवाचसम्।
नानाधर्माण पृथिवी यथौकतम्।।

अर्थात यह पृथ्वी हम सभी को खुद दे जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शान्तिपूर्ण घर के समान रहते है।

हमें ऐसे विश्व के निर्माण के संकल्प को व्यवहार में लाना है जिसमें सम्प्रदाय या पूजा पद्धति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर और समान गरिमा की गारण्टी हमारे गणतन्त्र का आधार है 'इसको बलशाली बनाकर ही हम राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए भीतर और बाहर से, जो गम्भीर चुनौतियाँ मिल रही है, उनका सफलतापूर्वक सामना कर सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इण्डियाः क्रिस्टोफ जफरलोट।

कोठारी, रजनी – कम्यूनलिज्म इन इण्डियन पॉलिटिक्स, रैनबो पाब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998।

आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता, विनिनचन्द्र,

धर्म और राजनीति का घालमेल, सुधीर दलवी, हिन्दी वेब दुनिया, कॉम/आर्टिकल/रिलिजिअस आर्टिकल,

धर्म निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता, गोपीनाथ कालभोर, पृ0–170

साम्प्रदायिकता एक परिचय, विपिन चन्द्र